



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



सं- CHG/JNG-C/LST-2/NGP-VOL-II

खान कोड- 38MPR06003

दिनांक:-13.01.2023

प्रेषिति-

श्री जयकुमार कृष्णास्वामी,
नामित खान मालिक,
अरस्मेता चूनापत्थर खान,
सर्वश्री नुवोको विस्तास कारपोरेशन
लिमिटेड, एकुइनोक्स बिज़नस पार्क,
टावर 3, पूर्व विंग, 04 वीं मंजिल,
LBS मार्ग, कुर्ला पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र-400070
ईमेल-jayakumar.krishnaswamy@nuvoco.com

श्री मनोज कुमार अग्रवाल,
खान एजेंट,
अरस्मेता चूनापत्थर खान,
सर्वश्री नुवोको विस्तास कारपोरेशन
लिमिटेड, पोस्ट-गोपालनगर, तहसील-अकालतरा,
जिला- जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ - 495663
ईमेल-manoj.agrawal@nuvoco.com

विषय :छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चाम्पा जिले में स्थित आपके अरासमेता चूनापत्थर खान 499.987 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 12.12.2022 को अधोहस्ताक्षरी एवं इस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री रितेश कैमल, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>The Mining operations required to be carried out in accordance with the Mining Plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, mining operations have been found not carried out in accordance with the Review of Mining Plan (RMP) approved dated 12.02.2021 to the extent indicated below;</p> <ol style="list-style-type: none">In western side of Pit-1 extension (main production pit), width of benches observed lesser than approved width of 25 to 50 m (minimum 11 m) and also less than its height. Moreover 02 (two) benches of about 08 m height observed being merged as single bench of about 16 m at places, reportedly due to high grade ore being found there; resulting in unsystematic development of said pit.In pit-1 extension, excavation observed encroached in to 7.5 m area within and along ML boundary (safety zone) near to BP no. - 61 without such approval in RMP. Further, Plantation approved in the said area was also not found carried out.Separate stack of topsoil is not being maintained as proposed. Instead during the inspection, generated topsoil found as being backfilled, mixing with waste in the mined-out area of pit no. 01.In pit no.01 behind the view point, huge quantity of topsoil observed dumped/backfilled unsystematically without such approval.Development of pit observed lagging far behind than proposed in Pit no.- 01 (in northern part) as well as in Pit no.- 02.Ore production reported carried out only 1405979.54 tonnes against the approved quantity of 2060077 tonnes in the year 2021-22, which is substantially lesser than the approved quantity.Surface Plan & other plans as enclosed with RMP, although reported updated based on survey carried out on 30.09.2022. However, not found correct as per actual field position. <p>Hence, above are observed to be against the systematic & scientific development of mines and also against the protection of environment in the mine.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत ।

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है ।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है ।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन 11(1) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से **45** दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001 ।

2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़ ।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो